resulting in time and cost overrun is given in the enclosed **Statement I.*** The measures being taken by the Government vary from project to project and time to time. However, the nature of measures taken by the Government in general to avoid shortcomings in the implementation is given in the enclosed **Statement II.****

देश के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर

273. **श्री राम जेठमलानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1997-98 के वित्तीय वर्ष के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6 प्रतिशत निर्धारित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह भी सच है कि यह दर पूर्व निर्धारित दर की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो विकास दर में कमी होने के क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वसवनूर): (क) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लक्ष्य पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किये जाते हैं न कि वार्षिक रूप से 1 राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी), जिसने नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र को अनुमोदित किया है, ने नौवीं योजना अवधि, जिसमें वित्तीय वर्ष 1997-98 शामिल है, के लिये सकल घरेलू उत्पाद की 7.0% वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के विचार से, प्रश्न नहीं उठते।

(For statement please refer to the Statement annexed to the answer of Unstarred Question 261)

(For statement please refer to the Statement-II. annexed to the answer of Unstarred Question 263.)

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि जारी किया जाना

274. **श्री राघवजी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश से उन संसद सदस्यों (लोक सभा और राज्य सभा) के नाम क्या-क्या हैं जिनके लिए वर्ष 1997-98 की सांसद निधि में से अभी तक हिस्सा जारी नहीं किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं, क्या संबद्ध सांसदों को पृथक-पृथक रूप से इन कारणों से अवगत कराया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जिला मजिस्ट्रेटों के पास यह धनराशि कब तक पहुंचा दी जाएगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवानूर): (क) मध्य-प्रदेश के 10 संसद सदस्यों जिन्हें वर्ष 1997-98 के लिए 50 लाख रूपये की पहली किश्त अभी तक जारी नहीं की गई है, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**।

(ख) और (ग) मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, सो.स्था.क्षे.वि. योजना निधियों का निर्मोचन वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति को आधार मानकर किया जाना है। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी सांसद को वर्ष 1997-98 के लिए सां.स्था.क्षे.वि. योजना की निधियों का निर्मोचन तब किया जाएगा जब उनके संबंध में अस्वीकृत शेष राशि 50 लाख रूपये से कम हो जाएगी। तथापि, मध्य प्रदेश इन 10 सांसदों के पास 50 लाख रूपये से अधिक अस्वीकृत शेष राशि होने की सूचना मिली है। संबंधित जिला प्रमुखों से अनुरोध किया गया है कि अस्वीकृत शेष राशि 50 लाख रूपये से कम हो जाने पर वह नए सिरे से सूचना भेजें। जैसे ही संबंध माननीय सांसदों के संबंध में अस्वीकृत शेष राशि 50 लाख रूपये से कम हो जाएगी, 50 लाख रूपये की पहली किश्त निर्मोचित कर दी जाएगी। संबंधित सांसदों को तदनुसार सूचना दे दी गई है।

विवरण

मध्य प्रदेश के उन सांसदों की सूची जिन्हें सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत 1997-98 के लिए 50 लाख रूपये की पहली किश्त निर्मोचित नहीं की जा सकी क्योंकि इनके पास अस्वीकृत शेष राशि 50 लाख रूपये से अधिक थी।